न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 23/2024

राजेश पुत्र हसंराज जाति जाट साकिन 2 केएचएन हाल 2 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. हसंराज पुत्र गंगाराम जाति जाट साकिन 2 केएचएन हाल 4 बीएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. एसबीआई बैंक शाखा गोलूवाला जरिये शाखा प्रबन्धक ।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार राजस्व गोलूवाला।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई —— प्रार्थी
2. श्री जगराज सिंह भारी —— अप्रार्थी सं. 1
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार राजस्व गोलूवाला ——अप्रार्थी सं. 3

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 14/02/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री शैलेन्द्र बिश्नोई द्वारा प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निम्न प्रकार से है —

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रा. पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान प्रस्तुत है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 69/60 के प.नं. 26/239 (5) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/5, 15/6, प.नं. 27/239 (6) किला नं. 5/1,5/2, 6/1, 612, 15/3, 15/4 की कुल 3.163 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजवस्व रिकार्ड बाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जो अप्रार्थी सं.1 को प्रार्थी के दादा गंगाराम से प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित पैतृक [illegible] में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा जन्म से निहित है। प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की [illegible] काबिज काश्त है। प्रार्थी को प्राप्त होने वाला हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड [illegible] अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है व इसी अनुसार प्रार्थी अपना खाता अप्रार्थी सं.1 से अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:02:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थी सं. शराबी कवाबी किस्म का व्यक्ति है व अपने नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि को औने पौने दामों में किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है व प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन करवाने की फिराक में है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तोवज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 69160 के प.नं. 26/239 (5) किला नं. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 611, 612, 7 ता 10, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/5, 15/6, प.नं. 27/239 (6) किला नं. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/3, 15/4 की कुल 3.163 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत कोई वस्तोबज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता हाजिर जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और से प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्शाया गया सजरा खानदान अधूरा है सजरा खानदान है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं.1 के पिता स्व. गंगाराम के फौत होने के पश्चात पिता गंगाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि गंगाराम के वारीसान मिन अप्रार्थी सं.1 हसंराज, रामकुमार, शारदा व कमला पिसरान गंगाराम को प्राप्त हुई है। मिन अप्रार्थी सं.1 की बहनो शारदा व कमला ने अपना हक व हिस्सा 1.581 1.581 हैक. मिन अप्रार्थी सं.1 व मिन अप्रार्थी सं.1 के भाई रामकुमार को प्राप्त हुई है जो मिन अप्रार्थी सं.1 के स्वअर्जित सम्पति है। मिन अप्रार्थी सं.1 को विरास्तन में 1.581 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी किसी प्रकार की कोई खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा के समक्ष अनवान राजेश बनाम हसंराज मु.नं. 205/2015 पूर्व में दावा व दावा के साथ स्थंगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । प्रार्थी का दावा दिनांक 13.06.2018 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। प्रार्थी [illegible] खातेदारी अधिकारो व स्थंगन के लिये पुनः प्रार्थना पत्र पेश नही कर सकता। प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये मु.नं. 205/2015 बअनवान राजेश बनाम हसंराज [illegible] मे अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थंगन प्राप्त करवाने का हकदार है। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त करने का अधिकार नही है व किसी प्रकार का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:02:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तथ्य झूठे व मिथ्या अकिंत किये है। प्रार्थी जो कि ट्रक ड्राईवर है व खुद नशेड़ी पृवृति का व्यक्ति है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

स्टेट जवाब प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है जिसमें रास्ता खाला की सुविधा पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्त प्रार्थी ने कथन किया कि पैत्रक भूमि है 1/2 हिस्सा निषेधाज्ञा कंर्फम की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि 2013 से कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नामा है। पूर्व में दावा प्रस्तुत है जो खारिज है आवश्यक दस्तावेजों के बिना दावा प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

आदेश

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन कर। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अप्रार्थी सं. 1 निर्बाध रूप से एकल रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोश में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पूर्व में दिनांक 24.01.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 14/02/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:02:54 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा